न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 301/2016

1. उधमसिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. प्रगट सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. वरयाम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. गुरनामसिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. महल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. बन्ता सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
7. स्वर्ण सिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
8. गुरचरण सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
9. रेशम कौर बेवा करतार सिंह जाति जट सिख साकिन चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. चरणवीर सिंह पुत्र विरेन्द्र पाल सिंह जाति जट सिख साकिन 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता – – प्रार्थी

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 08.12.2017

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पत्रार्थीयान के पास चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 13 में 3.161 हैक्टयर व मुरब्बा नम्बर 20 में 1.581 हैक्टयर रकबा प्रार्थीयान के नाम दर्ज है। प्रार्थीयान के मुरब्बा न0 20 के लिए जोन के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीयान को अपनी जमीन पर जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 से 25 में रास्ता नजदीक व सुविधा जनक है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

इसी रकबा में प्रार्थी नम्बर 1 के नाम 1.580 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम 1.580 हैक्टयर प्रार्थी संख्या 5 से 8 के नाम 1.429 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 9 के नाम 0.153 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 7 सी बडी प्रथम का खाता संख्या 6/11 उज्जवल सिंह पुत्र श्री निर्भय सिंह के नाम मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 16–17–18–19–20–21–22–23–24–25 में 2.276 हैक्टयर रकबा दर्ज है। उज्जवल सिंह के मरने के बाद उपरोक्त रकबा का इन्तकाल दिनांक 09.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है तथा जमाबंदी में भी उसके नाम दर्ज है क्योकि रकबा उसके नाम दर्ज होने की वजह से उनको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीयान को अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने की वजह से प्रार्थीयान को खते में जाने में भरी कठिनाई होती है तथा खेती करने में भी सुविधा होती है जिसके लिए रास्ता दिया जाना अतिआवश्यक है।

मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25 में सरकारी सडक पक्की गांव आ रही है तथा 21 से 25 रास्ता सुविधाजनक है यही रास्ता प्रार्थी को अपने खेत जाने के लिए नजदीक वा सुविधाजनक है किला नम्बर 25 से 21 में जाकर प्रार्थी आगे अपनी जमीन में से पहुंच सकता है इसके अलावा और कोई रास्ता नजदीक नहीं है और ना ही कोई और रास्ता सुविधाजनक नहीं है इसलिए इसी रास्ता को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खेत में जाकर अपनी जमीन का सुधार कर सके।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 7 सी बडी प्रथम तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 से 25 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। रास्ता की रशि प्रार्थी जमा करवाने के लए तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.10.2016 को अप्रार्थी की तलबी हेतु पुनः वकील प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड लिफाफा मय ए.डी. के तलबी हेतु नोटिस जारी हुए। दिनांक 23.12.2016 को अप्रार्थी की तलबी अखबार में साया करवाने हेतु आदेश दिये गये जिसकी पालना में वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2017 को नोटिस अखबार में साया करवाकर न्यायालय में अखबार की प्रति शामिल की, अखबार की प्रति शामिल पत्रावली है। दिनांक 20.11.2017 को अप्रार्थी चरणवीर सिंह के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 01.12.2017 को वकील वादी से एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थतियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 7 सी बडी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 से 25 में 1–1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपनें स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **08.12.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर